न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 83/2011 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्रीमती रूकमा बाई पत्नी नन्दलाल जी पालीवाल पुत्री गोपीलाल जी पालीवाल (मृतक) के बजाय :–

1/1. कन्हैयालाल पिता नन्दलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. प्रेमशंकर पिता नन्दलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती ललिता देवी पुत्री नन्दलाल जी पत्नी विष्णु जी पालीवाल, निवासी साकरोदा, हाल 7, कोठारी गली, घण्टाघर, उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती तुलसा देवी पुत्री नन्दलाल जी पत्नी पन्नालाल जी पालीवाल, निवासी फरारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती अणछाई देवी पुत्री नन्दलाल जी पत्नी सुरेशचन्द्र जी पालीवाल, निवासी साकरोदा, हाल बजरंग मार्ग, चांदपोल बाहर, जाड़ा गणेश जी, उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती रोशनलाल पिता नन्दलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

1/7. श्रीमती कमला देवी पुत्री नन्दलाल जी पत्नी प्रकाशचन्द्र जी पालीवाल, निवासी करदा (केलवाड़ा), उदयपुर (राज.)

1/8. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री नन्दलाल जी पत्नी अमृतराम जी पालीवाल, निवासी खमनोर, हाल भोपाल (मध्य प्रदेश)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती हुलासी बाई पत्नी स्वर्गीय बंशीलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दामोदर पिता गणेशलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, हाल मकान नंबर 51/308, नागरवाड़ी, चांदपोल बाहर, उदयपुर
3. सत्य नारायण पिता गणेशलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, हाल मकान नंबर 51/308, नागरवाड़ी, चांदपोल बाहर, उदयपुर

4. श्रीमती यशोदा पत्नी चतरभुज जी पुत्री गणेशलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, हाल मकान नंबर 11, गली नंबर 8, मुरारी मोहल्ला, छावनी, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

5. श्रीमती पार्वती पत्नी शंकरलाल जी पुत्री गणेशलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, हाल मकान नंबर 417, तिलक नगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

6. रामचन्द्र पिता नाथूलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

7. श्रीमती गंगा बाई पत्नी परशराम जी पुत्री नाथुलाल जी पालीवाल (मृतक) के बजाय :–

7/1. श्रीमती तुलछा देवी पत्नी मोहनलाल जगन्नाथ जोशी पुत्री परशराम जी पालीवाल, निवासी श्री साई डेरी फार्म, आजाद नगर, गली नंबर 2, वीरा देसाई रोड़, अन्धेरी (वेस्ट), मुम्बई

7/2. श्रीमती फूला देवी पत्नी भवानी शंकर जी जोशी पुत्री परशराम जी पालीवाल, निवासी ब्रह्मपुरी, गांव गुड़ा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

7/3. देवीलाल पिता परशराम जी पालीवाल, निवासी ब्रह्मपुरी, खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

7/4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी बंशीलाल जी पालीवाल पुत्री परशराम जी पालीवाल, निवासी बस स्टैण्ड, खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

7/5. श्रीमती भारती देवी पत्नी कृष्ण गोपाल जी पालीवाल पुत्री परशराम जी पालीवाल, निवासी ब्रह्मपुरी, गांवगुड़ा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

8. श्रीमती चन्दा बाई पत्नी भगवतीलाल जी पुत्री नाथूलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

9. श्रीमती केसर बाई पत्नी सुन्दरलाल जी पुत्री गोपीलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर हाल सोमेश्वर महादेव मन्दिर के पास, भटियानी चोहट्टा, जगदीश चौक, उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती शकुन्तला पत्नी सोहनलाल जी पुत्री बंशीलाल जी पालीवाल, निवासी करदा हाल निवासी मुकाम पोस्ट खेड़ी (सेमा) तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती नानी बाई पत्नी अर्जुनलाल जी पुत्री बंशीलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

12. हीरालाल पिता नारायणलाल जी पालीवाल (मृतक) के बजाय :–

12/1. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी बंशीलाल जी जोशी पुत्री हीरालाल जी (हितेषी पुस्तक भण्डार वाले), निवासी 6/27, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, चुंगी नाका के पास, उदयपुर (राज.)

12/2. श्रीमती कमला देवी पत्नी सोहनलाल जी पालीवाल (भीम) पुत्री हीरालाल जी, निवासी 6/27, मण्डा की गवाड़ी, कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज.)

12/3. भूदेव पिता हीरालाल जी जोशी, केयर ऑफ : धनेश्वर जी पालीवाल का मकान, मालनीया चौक, कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज.)

12/4. नन्द किशोर पिता हीरालाल जी जोशी, निवासी श्रीनाथ जी की हवेली के अन्दर, उदयपुर (राज.)

13. उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द द्वारा : उप–तहसीलदार खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा
दिनांक 21–02–2011 प्र०सं० 170/2008

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री के. एल. चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री बी. एल. पालीवाल अभिभाषक रे०सं० 1, 2, 7
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13

———::———

निर्णय **दिनांक 13–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित एक वाद द्वारा हुलासीबाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जिसके मुकदमा नंबर 162/2002 व नये नंबर 72/2003 थे। इस मुकदमें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–09–2004 को निर्णय पारित किया गया। उक्त वाद के प्रतिवादी अर्थात अपीलान्ट श्रीमती रूकमा बाई द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में प्रार्थीया की कभी भी तामिल नहीं हुई, प्रार्थीया ने कभी अधिवक्ता मुकर्रर नहीं किया और न ही किसी अधिवक्ता को इकबालिया जवाब पेश करने की हिदायत दी। प्रार्थीया की ओर से किसी गलत प्रार्थी को बनाकर वकालत पत्र पेश किया

गया है एवं प्रार्थीया के फर्जी दस्तखत किये गये हैं। उसकी ओर से फर्जी जवाबदावा व वकालतनामा पेश करवाकर वाद डिक्री करवाया गया है। प्रार्थी को नाथद्वारा पुलिस अधिकारी एवं अन्य कांस्टेबल उसके घर खमनोर आये और कहा कि 3 वर्ष पहले हुलासी बाई ने आप पर दावा किया था, जिसे पढ़कर प्रार्थीया को सुनाया गया, उसके प्रार्थीया का अधिवक्तानामा पर तथा इकबालिया जवाबदावा पर अंगूठा का निशान लगाकर दिनांक 10–03–2004 को आप न्यायालय में पेश किया, उसके अनुसार दिनांक 29–09–2004 को निर्णय व डिक्री वादिया हुलासीबाई के पक्ष में जारी की गयी है। इसकी जानकारी प्रार्थीया को इससे पहले नहीं थी, कि मुकदमा कब हुआ, कब चला एवं इसका फैसला कब हो गया। अतएवं उक्त निर्णय व डिक्री सेट–एसाईड करने का आदेश प्रदान किया जावे। साथ में दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन भी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट/वादिया हुलासीबाई द्वारा देते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया को विधिवत तामिल हुई है एवं स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है एवं जवाबदावा पेश किया है, किसी अन्य व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थीया के घर कोई कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी कभी नहीं गये। प्रार्थीया की उम्र अधिक हो जाने से किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया को सभी तथ्यों की पहले से ही जानकारी थी। अतएवं दफा 5 जाब्ता मयाद का लाभ प्रार्थीया को नहीं दिया जा सकता एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 21–02–2011 से प्रार्थीया/अपीलान्ट का आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/आवेदक प्रार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–05–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

नकल देने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 7 की ओर से वकील श्री बी. एल. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अपीलान्ट के नाम की कोई तामिल नहीं होते हुए भी अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपीलान्ट एक वृद्ध, अशिक्षित ग्रामीण महिला है, जिसकी सम्पत्ति को अवैधानिक तरीके से हड़पने हेतु किसी फर्जी वकील को अपीलान्ट की ओर से पैरवी करने हेतु खड़ा कर दिया है एवं इकबाली जवाबदावे पर भी अपीलान्ट की फर्जी अंगूठा निशानी लगायी गयी है। वकालतनामें पर अपीलान्ट का फर्जी अंगूठा लगा हुआ है, जबकि जवाबदावे पर कोई अंगूठा नहीं लगाया है। अपीलान्ट ने तो वकील साहब की कभी शक्ल भी नहीं देखी है। उक्त जवाबदावे की नकले लेने पर ज्ञात हुआ कि उस पर किसी सत्य नारायण के हस्ताक्षर हैं और किसी वकील ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। जब जवाबदावे पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर ही नहीं हैं तो अधिनस्थ न्यायालय को कम से कम जवाबदावे को तो देखना ही चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंगूठे एवं हस्ताक्षर का मिलान नहीं कर सकते थे। सारा षडयंत्र अपीलान्ट की सम्पत्ति हड़पने के लिए किया गया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

बहस सुनने के बाद वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के एफ.आर. संख्या 62/2008 में निर्णय दिनांक 03–01–2013 की प्रति पेश की गयी है, जिसमें न्यायालय द्वारा हुलासी बाई व राजेश कुमार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण में प्रसंज्ञान लिये जाने का निर्णय किया है तथा प्रकरण में परिवादी भवानी शंकर द्वारा अपने बयानों में गंगा बाई की मृत्यु दिनांक 08–05–2002 को तथा हीरालाल की मृत्यु दिनांक 05–10–1997 को होना बताया है, जबकि उन्हें पक्षकार संस्थित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये गये आवेदन से सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी की तामिल अदम तामिल के रूप में प्रस्तुत हुई है, परन्तु पश्चातवर्ती रूप से उसकी अंगूठा निशानी के साथ उनके वकील की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है। जवाबदावे पर अपीलान्ट ने अंगूठा निशानी नहीं होना बताया है, परन्तु वकालतनामा अवश्य दिया गया है और जवाबदावा वकील अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया जाकर सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/प्रार्थी का सहमति जवाबदावा था और उक्त सहमति जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अब अपीलान्ट का यह कथन कि उसने अपने अधिवक्ता को वकालत पत्र नहीं दिया है, यह विचारणीय प्रश्न है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि "अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की प्रोपर जानकारी कब हुई।" प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट यह कहकर आते हैं कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण की जानकारी थानाधिकारी नाथद्वारा द्वारा जांच किये जाने पर उसका जवाब लिये जाने पर हुई। अपीलान्ट स्वयं द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात अनुसार एफ.आई.आर. नंबर 263/2005 में अपीलान्ट रूकमा देवी के बयान दिनांक 11-12-2005 को हुए हैं। अर्थात दिनांक 11-12-2005 को अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी सुस्पष्ट रूप से हो चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29-09-2004 की जानकारी उसे दिनांक 11-12-2005 को होने के बाद एक माह की अवधि में दिनांक 10-01-2006 तक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर 9 माह विलम्ब से उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए उसके द्वारा जो कारण व्यक्त किये गये हैं, वे न तो उचित हैं न ही पर्याप्त, क्योंकि उसके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उसे दिनांक 11-12-2005 को बयान देते समय तो प्रकरण की जानकारी आवश्यक रूप से हो चुकी थी। तद्नुसार प्रथम दृष्टया ही उक्त आवेदन जो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, वह करीब 9 माह विलम्ब

से पेश होकर बेरून मयाद है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है, परन्तु रेकार्ड से यह सुस्पष्ट होता है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा अधिवक्ता को वकालत पत्र नहीं दिया गया है, जिस सम्बन्ध में थाने में भी कार्यवाही हुई है, परन्तु थाने की कार्यवाही में वादिया के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया गया है, परन्तु आरोप प्रमाणित होने का निर्णय नहीं हुआ है। आपराधिक न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया दोषी माना है, जो निर्णायक नहीं कहा जा सकता। अपीलान्ट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी फर्जी थे अथवा अधिवक्ता द्वारा अनाधिकृत रूप से उसकी ओर से वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस बाबत उसके द्वारा कोई अंतिम विधिक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय अथवा अपील स्तर पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे उसके द्वारा अधिवक्ता को वकालत पत्र नहीं दिया जाना स्पष्ट होता हो। अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र लिये जाने के बाद अपीलान्ट की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, उसमें जब तक वकालत पत्र का धोखा–धड़ी पूर्वक होना अथवा उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं होने का कोई न्यायिक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हम इस प्रकरण में यह नहीं मान सकते कि आवेदक/अपीलान्ट द्वारा उक्त वकालत पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हों। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं आधारों पर अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। यदि आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य किसी सिविल कार्यवाही में प्रार्थीया/ अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं होना प्रमाणित होने का कोई न्यायिक निर्णय उपलब्ध होता है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर जारी की गयी डिक्री स्वतः ही निरस्त हो जायेगी, परन्तु हम इस स्तर पर जबकि हमारे समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत नहीं होता है कि अधिवक्ता को वकालत पत्र जो प्रार्थी/अपीलान्ट के हस्ताक्षर शुदा दिया गया है, उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं अथवा नहीं। उसके हस्ताक्षर यदि वकालत पत्र पर उपलब्ध है तो उन्हें यह न्यायालय हस्ताक्षर नहीं होना नहीं कह सकता।

उपरोक्तानुसार अपीलान्ट आवेदक का अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा आवेदन मयाद बाहर होने तथा यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21—02—2011 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13—09—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास .... **एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

श्रीमती रूकमाबाई मृतक के बजाय कन्हैयालाल पिता नन्दलाल जी पालीवाल, निवासी खमनोर, तह0 खमनोर, जि0 राजसमन्द व अन्य बनाम **श्रीमती हुलासीबाई पत्नी बंशीलाल पालीवाल, निवासी खमनोर, तह0 खमनोर, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰...........**83/2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**नाथद्वारा**....... मुकाम...............मुवर्खे...........**21**..............माह.............**02**...........**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**13**......माह........**09**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री के.एल. चोर्डिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.......**श्री बी.एल. पालीवाल......**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपीलान्ट आवेदक का अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा आवेदन मयाद बाहर होने तथा यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21—02—2011 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**13**......माह.......**09**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।